# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

IN-UP00883460981148V

**e-Stamp**

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP00883460981148V |
| Certificate Issued Date | : | 29-Aug-2023 03:09 PM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14332204/ NAJIBABAD/ UP-BJN |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP14332204973469319545 66V |
| Purchased by | : | S S D PUBLIC SCHOOL SAMITI GARHMALPUR NAJIBABAD |
| Description of Document | : | Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement |
| Property Description | : | Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | S S D PUBLIC SCHOOL SAMITI GARHMALPUR NAJIBABAD |
| Second Party | : | NA |
| Stamp Duty Paid By | : | S S D PUBLIC SCHOOL SAMITI GARHMALPUR NAJIBABAD |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 100 (One Hundred only) |

Please write or type below this line

### शपथ –पत्र

हम सुशीला देवी (अध्यक्ष) एवं रणवीर (सचिव) एस0एस0डी0 प0 स्कूल, समिति, ग्राम–गढमलपुर ,नजीबाबाद, जिला बिजनौर,उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट द्वारा एस0एस0डी0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी ,नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम–गढमलपुर ,नजीबाबाद, जिला बिजनौर, (उ0प्र0) में गाटा संख्या 218, एवं 219 ,रकबा कमश: .790 एवं .169कुल रकबा 0.959 हैक्टेयर भूमि है।
3. यह है कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 218 एवं 219 रकबा .790 एवं .169 हेक्टयेर कुल रकबा 0.959 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01/11/2019 द्वारा पारित किया गया है।

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि , इस संस्था में फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान /विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि,शासन/परिषद ,द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलिभाँति पालन करूँगा! यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरिक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरिक्षण एवं सम्बद्वता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा! इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी!

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है! यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख /दस्तावेज फर्जी ,कूटरचित अथवा त्रुटीपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्व परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी! ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा!

NOTARY
NASIM KHAN
Advocate
Regd. No. 5955/07
Distt. Bijnor (U.P.)
GOVT. OF INDIA

Ramver

ह०सचिव

सुरीला

ह० अध्यक्ष

ATTESTED

29.8.23

NASIM KHAN
NOTARY
...ABAD (BIJNOR)